दिनांकः 13.06.2024 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 15.02.2024 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि टंकन की गलती से कुछ शब्द गलत टाइप हो गया है इसलिए यह कि अर्जी नालिस के पेज नं 3 के पांचवे लाइन , पेज नं 4 के पहले लाइन , पेज नं 5 के दूसरे लाइन, पेज नं 8 के दूसरे लाइन , तीसरे लाइन , पांचवे लाइन, छठे लाइन , सातवें लाइन , पेज नं 7 के छठे लाइन , अर्जी नालिस के दफा 12 के तीसरे लाइन , दफा 13 के पहले लाइन , दफा 14 के छठे लाइन , सातवे लाइन, पेज नं 11 के दूसरे लाइन , दादरसी नं ग के चौथे लाइन , अर्जी नालिस के कुर्सीनामा , अर्जी नालिस के मद नं 1 में तथा पेज नं 15 के अंत में एवं नालिस के मद नं 02 में वादी आवेदन के आलोक में परिवर्तन करना चाहता है। इससे वाद की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा अतः मामले में आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया उसने आवेदन का मौखिक विरोध किया विरोध करते हुए कहा कि इससे आवेदन की प्रकृति में परिवर्तन होगा अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्ष को सुना। मामले में वादी के आवेदन का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया संशोधन आवेदन विचारण प्रारंभ होने के पहले दिया गया है तथा संशोधन की प्रकृति औपचारिक है । अतः वादी का

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।